सं0342/V-श0वि0-06-249(सा0)/2005

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांक-20फरवरी,2006

विषय : नगर पंचायत, महुआडाबरा जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यो की वित्तीय वर्ष-2005-06 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित **नगर पंचायत,महुआडाबरा**,जनपद उधमसिंह नगर में प्रस्तावित कार्यों हेतु रू0 94.24 लाख की लागत के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 91.00 **लाख (रूपये इक्यानबे लाख मात्र)** की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्थाओ को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2- अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा, किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदो में न किया जाय, इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

3- उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यो पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

6– स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादे का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आग गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

7– निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

8– यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमु की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को दे आवश्यक धनराशि शासन को दिनांक 31–03–06 तक समर्पित कर दी जायेगी।

9– **कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय,पूर्ण क का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योज की लागत से ही लगाया जायेगा।**

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही कि में आहरण किया जायेगा।

11– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में नि शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही नि की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

12– आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्व स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमो आवश्यक होगा।

13– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रे किया जायेगा।

14– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मध्यनजर रखते हुए लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कर समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

15– विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थ निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार कार्य किये जायेंगे।

16– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लि जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

17– कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलबध करा दि जाये।

शासनादेश सं0–342/V–श0वि0–06–249(सा0)/05, दिनांक– ~~जनवरी~~ 20 फरवरी, 2006 का संलग्नक।

सं0	कार्य का नाम	आगणन लागत (लाख रू0 में)	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
	अनावासीय भवन, मीटिंग हॉल/कम्प्यूटर कक्ष/स्टोर/गैराज/टॉयलेट/बारातघर	65.000	65.00
	अनावासीय भवन, मीटिंग हॉल/कम्प्यूटर कक्ष/स्टोर/गैराज/टॉयलेट/बारातघर	16.311	16.31
	सी0सी0 रोड, वार्ड नं0–2	4.69	2.10
	R.C.C. Culvert (3.5Mtr. span) saptic tank soakpit/External water supply/Electrification	1.85	1.53
	कुल योग–	94.24	91.00

(रूपये इक्यानबे लाख मात्र)

18– कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

19– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

20– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0–212 / XXVII(2) / 2006, दिनांक–10फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

<u>सं0 342 / V-श0वि0–05, तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी को मा0 मंत्रीजी के सूचनार्थ।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
4– जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उधमसिंह नगर।
7– वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,बजट अनुभाग,उत्तरांचल शासन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, महुआडाबरा (उधमसिंह नगर)।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एल0 फैनई)
अपर सचिव।

([illegible])
अनुसचिव
शहरी विकास

6– स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स ए मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगण गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पू उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

7– निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

8– यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देक आवश्यक धनराशि शासन को दिनांक 31–03–06 तक समर्पित कर दी जायेगी।

9– **कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना क लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय,पूर्ण कर का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योज की लागत से ही लगाया जायेगा।**

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किश्त में आहरण किया जायेगा।

11– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्ग शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पू नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने प निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्ग की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

12– आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोद आवश्यक होगा।

13– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषि किया जायेगा।

14– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मध्यनजर रखते हुए ए लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करा समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

15– विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ह कार्य किये जायेंगे।

16– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिय जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

17– कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति क विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलबध करा दिय जाये।